बिहार सरकार

योजना एवं विकास विभाग

पत्रांकः यो04 / मु.क्षे.वि.यो.–62 / 2014–4237 / यो.वि.,दिनांक 16 सितम्बर, 2014

प्रेषक,

पंकज कुमार,
सचिव

सेवा में,

सभी जिला योजना पदाधिकारी,
बिहार

विषयः **मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत माननीय विधानमंडल सदस्य द्वारा अनुशंसित योजना को रद्द करने के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि कतिपय माननीय सदस्य, बिहार विधानमंडल द्वारा मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत अपनी पूर्व में अनुशंसित योजनाओं को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।

मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना की संशोधित मार्गदर्शिका–2014 की कंडिका 13(2) में यह प्रावधान है कि मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत चयनित एवं स्वीकृत योजना जिसकी सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्रशासनिक एवं तकनीकी स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है, के कार्यान्वयन को तभी निरस्त किया जा सकता है जब तक कार्य का कार्यान्वयन प्रारम्भ नहीं हुआ है तथ उसे निरस्त करने के फलस्वरूप सरकार पर किसी प्रकार की संविदात्मक वित्तीय देयता / लागत का भार नहीं पड़ता है। यदि किसी अनिवार्य कारण से चयनित / स्वीकृति / चालू कार्य को रोकना / स्थगित करना आवश्यक हो तो मामले की सूचना देते हुए पूर्ण औचित्य के साथ योजना एवं विकास विभाग की सहमति प्राप्त की जाय।

कंडिका 13(3) में यह प्रावधान है कि विधानमंडल सदस्य द्वारा अनुशंसित सूची में कार्य स्थल में परिवर्तन करने का अधिकार होगा वशर्ते कि उनकी अनुशंसा कार्यान्वित नहीं हो चुकी हो। अगर अनुशंसा का कार्यन्वयन प्रारम्भ हो गया हो तो परिवर्तन या योजना का कार्यान्वयन नहीं रोका जायेगा। अनुशंसा कार्यान्वित हो जाने पर स्थल परिवर्तन कराना या रद्द करना संभव नहीं होगा।

कंडिका 13(4) में यह प्रावधान है कि विधानमंडल सदस्यों द्वारा अनुशंसित एवं सक्षम स्तर से प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त कार्यों को माननीय सदस्यों द्वारा रद्द किया जा सकेगा बशर्ते कि कार्य का कार्यान्वयन नहीं हुआ हो तथा रद्द करने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार पर किसी भी प्रकार का संविदात्मक देयता या भार नहीं पड़ता हो। अगर ऐसा परिवर्तन लोकहित में आवश्यक हो तो राज्य सरकार की स्वीकृति के उपरांत ही योजना रद्द की जा सकेगी एवं अवशेष राशि से माननीय सदस्यों द्वारा अनुशंसित अन्य योजना ली जा सकेगी।

अतः उपर्युक्त प्रावधानों के आलोक में ही विधानमंडल के माननीय सदस्यों की अपनी पूर्व की अनुशंसित योजनाओं को रद्द करने के प्रस्ताव की सम्यक् समीक्षा कर यथारूप निर्णय लिया जाय।

विश्वासभाजन

15/9/2014

(पंकज कुमार)
सचिव
योजना एवं विकास विभाग

ज्ञापांकः यो04/मु.क्षे.वि.यो.–62/2014–4237/यो.वि.,दिनांक 16 सितम्बर, 2014

प्रतिलिपिः मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी, बिहार स्थानीय क्षेत्र विकास अभिकरण/सभी क्षेत्रीय योजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

15/9/2014

सचिव
योजना एवं विकास विभाग